न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर जिला डूँगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः— सोनू कुमार गुर्जर RAS

प्रकरण सख्याः—68 / 25 दायर दिनांकः—10.07.2025

GCMS No.2025/93

1. कचरा पिता थावरा
2. रामलाल पिता थावरा
3. शंकर पिता थावरा जाती भील
   निवासी पारडा चौबीसा पटवार हल्का धावडी तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

——प्रार्थीगण

बनाम

1 कमलेश पिता देवा परमार
2. नाथू पिता देवा परमार
3. कान्तिलाल पिता देवा परमार
4. राधेश्याम पिता लालजी
5. रमणलाल पिता शंकरलाल अहारी
   निवासीयान पारडा चौबीसा पटवार हल्का धावडी तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने एवं सीमांकन करवाने / कायम करने अन्तर्गत धारा 111 / 128 भू.रा.अधि.1958

उपस्थितः—
1. अधिवक्ता डॉ. शंकर यादव, प्रार्थी 1 से 3 की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राकेश यादव, अप्रार्थीण 1 से 5 की ओर
3. पेरोकार सरकार, तहसीलदार दोवडा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 02 / 12 / 2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण 1 से 5 तक एक ही जाति के होकर एक ही गॉव के रहने वाले है, पक्षकारगणों की खातेदारी की भूमि मौजा पारडा चौबीसा में स्थित होकर पास—पास सटी हुई तथा उपर विपक्षीगण 1 से 5 भूमि संबंधित विवाद को लेकर प्रार्थीगण के परिवार के साथ अदावत रखते आ रहे है और बार बार प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर तंग व परेशान कर लडाई झगडा कर रहे है जिससे प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपनी खातेदारी कृषि भूम की पत्थरगढी करा एवं सीमाऐं कायम रखने हेतु सीमांकन कराने हेतु विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के खातेदारी में राजस्व ग्राम पारडा चौबीसा पटवार हल्का धावडी तहसील दोवडा की

उपखण्ड अधिकारी

जमाबंदी सम्वत 2078 के खाता संख्या नया 90 व पुराना 27 में आराजी खसरा नम्बर 668, 669 670 रकबा 0.1400 हेक्टे. तथा खाता संख्या नया 91 पुराना 28 में आराजी कुल रकबा 0.8100 हेक्टर में खसरा नम्बर 652 रकबा 0.1600 हेक्ट. तालाबी द्वितीय जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 667, 672, 671 एवं 654 है जो प्रार्थीगण की भूमि से बिल्कुल सटी हुई है। विपक्षीगण 1 से 5 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को जबरन हडप लेने की नियत रख प्रार्थीगण की जमीन में कच्ची बाउण्ड्री कर खुर्द बुर्द करने आमदा है। आये दिन गाली–गलोच व लडाई झगडा करते है और मौके पर शराब पीकर आये दिन घातक हथियार लेकर घुमते है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवाजनों में किसी गम्भीर घटना होने का अन्देशा पैदा हो गया हैं। प्रार्थीगण की आराजी पर सीमांकन कर पत्थरगढी कायम होने से प्रार्थीगण को स्थाई बाड एवं पत्थरगढी होने जाने से भविष्य में विपक्षीगण से विवादों से भी बचाव होगा जिस कारण से भी प्रार्थीगण की आराजी सहित विपक्षीगण के खसरा के मध्य की चतुर्थः सीमाओं की पत्थरगढी करा सीमाए कायम कराना आश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम पारडा चौबीसा पटवार हल्का धावडी तहसील दोवडा की जमाबंदी सम्वत 2078 के खाता संख्या नया 90 व पुराना 27 में आराजी खसरा नम्बर 668, 669 670 रकबा 0.1400 हेक्टे. तथा खाता संख्या नया 91 पुराना 28 में आराजी कुल रकबा 0.8100 हेक्टर में खसरा नम्बर 652 रकबा 0.1600 हेक्ट. तालाबी द्वितीय जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी चतुर्थ सीमाओं का सर्वेक्षण कराकर सीमांकन कर पत्थरगढी करने तथा स्थाई सीमाऐं कायम कराने हेतु तहसीलदार तहसील दोवडा को आदेशित किया जाने प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया।

विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया पटवार हल्का को आदेश किया जावे कि उक्त वाद ग्रस्त आराजीयात की नपत्ति से पूर्व मुस्तकील बिन्दु तय कर नपत्ति कराये जाने निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्ह कराना चाह रहे है। पेरोकार सरकार द्वारा पत्थरगढी आदेश जारी करने बाबत् कोई आपत्ती नही की ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधि...
डूंगरपुर

आदेश

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम पारडा चौबीसा पटवार हल्का धावडी तहसील दोवडा की जमाबंदी सम्वत 2078 के खाता संख्या नया 90 व पुराना 27 में आराजी खसरा नम्बर 668, 669 670 रकबा 0.1400 हेक्टे. तथा खाता संख्या नया 91 पुराना 28 में आराजी कुल रकबा 0.8100 हेक्टर तालाबी द्वितीय में खसरा नम्बर 652 रकबा 0.1600 हेक्ट. जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

अतः तहसीलदार दोवडा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम पारडा चौबीसा पटवार हल्का धावडी तहसील दोवडा की जमाबंदी सम्वत 2078 के खाता संख्या नया 90 व पुराना 27 में आराजी खसरा नम्बर 668, 669 670 रकबा 0.1400 हेक्टे. तथा खाता संख्या नया 91 पुराना 28 में आराजी कुल रकबा 0.8100 हेक्टर तालाबी द्वितीय में खसरा नम्बर 652 रकबा 0.1600 हेक्ट. भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:—

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोश में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धीविवाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोश प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार दोवडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील दोवडा, थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 02/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर